

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ.1(Tran)स्था/HRD/आकाशि/2024/873

दिनांक: 20 फरवरी, 2024

आदेश

दिनांक 19.02.2024 तक विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों से प्रतिनियुक्ति/कार्यव्यवस्था पर निश्चित समयावधि/अनिश्चित समयावधि/अग्रिम आदेश तक अन्य राजकीय महाविद्यालयों में (राजसेस कृषि महाविद्यालयों को छोड़कर) लगाये गये सह/सहा. आचार्यों/आचार्यों/ब्याख्याताओं की उक्त प्रतिनियुक्ति/कार्यव्यवस्था तुरन्त प्रभाव से समाप्त की जाती है एवं निर्देशित किया जाता है कि अपनी आगामी उपस्थिति अपने मूल पदस्थापित महाविद्यालय में देंगे।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा विभाग,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ.1(Tran)स्था/HRD/आकाशि/2024/873

दिनांक: 20 फरवरी, 2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सहायक, मंत्री उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को उनके अ.शा.टीप क्रमांक 1672 दिनांक 20.02.2024 के संदर्भ में।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. प्राचार्य, सम्बन्धित राजकीय महाविद्यालय को प्रेषित कर लेख है कि कार्यमुक्त/कार्यग्रहण की रिपोर्ट अविलम्ब मेल आई.डी. hrd.cce@gmail.com पर प्रेषित करावें तथा मूल महाविद्यालय में कार्यग्रहण करने के पश्चात ही आगामी वेतन आहरित करना सुनिश्चित करें।
5. सम्बन्धित अधिकारी को अविलम्ब पालनार्थ।
6. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को को प्रेषित कर लेख है कि आदेश को विभाग की साईट पर अपलोड करें।
7. स्थापना शाखा/कम्प्यूटर शाखा/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक
कॉलेज शिक्षा विभाग,
राजस्थान, जयपुर